M.S.W. Officer

रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-सा.-15052023-245873
CG-DL-W-15052023-245873

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 18] नई दिल्ली, मई 7—मई 13, 2023, शनिवार/ वैशाख 17—वैशाख 23, 1945
No. 18] NEW DELHI, MAY 7—MAY 13, 2023, SATURDAY/VAISAKHA 17—VAISAKHA 23, 1945

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रुप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 4 मई, 2023

सा.का.नि. 51.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली, (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1981 को, जहाँ तक उसका संबंध सामाजिक कार्यकर्त्ता के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली, में चिकित्सा समाज कल्याण अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली, चिकित्सा समाज कल्याण अधिकारी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि-** भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता:** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति:** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
चिकित्सा समाज कल्याण अधिकारी	02* (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 6 (35400-112400 रुपये)	लागू नहीं होता।	तीस वर्ष की आयु से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग

					द्वारा यथा विज्ञापित होगी।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
(क)(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से समाज कार्य या समाजशास्त्र में स्नातक डिग्री या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में डिग्री के साथ समाज कार्य में कम से कम एक वर्ष का डिप्लोमा; और (ii) सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त अस्पताल या संस्थान में चिकित्सा समाज कार्य के क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव। या (ख)(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से समाज कार्य या समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री; और (ii) सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त अस्पताल या संस्थान में चिकित्सा समाज कार्य के क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1:** अर्हताएँ अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएंगे, शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण- 2** अनुभव संबंधी अर्हताएं अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।	लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये दो वर्ष। संगत क्षेत्र में कम से कम दो सप्ताह की अवधि का अनिवार्य प्रशिक्षण करना होगा।	प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य-क्षेत्रों के ऐसे अधिकारी:- (क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर- 5 (29200-92300 रुपये) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी में छह वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अहर्ताएं और अनुभव रखते हों। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख़ को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित शामिल होंगे:- 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली, -अध्यक्ष; 2. चिकित्सा शिक्षा के प्रभारी निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, - सदस्य; 3. उप निदेशक (प्रशासन), लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और सम्बद्ध अस्पताल, नई दिल्ली - सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा.सं. ए.11018/17/2019-एमएच II]

गणेश कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 4th May, 2023

G.S.R. 51.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1981 in so far as they relate to the post of Social Worker, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Medical Social Welfare Officer in the Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi, under the Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi, namely:-

1. **Short title and commencement.**–(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi, Medical Social Welfare Officer (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2023.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.–The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.–The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. – No person, -

a. who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

b. who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.–Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission and relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.–Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Medical Social Welfare Officer.	02* (2023) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400 – 112400).	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(6)	(7)
Not exceeding thirty years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note:The crucial date for determining the age-limit shall be as prescribed by the Staff Selection Commission.	(A)(i) Bachelor Degree in Social Work or Sociology from a recognised University or Institute or Degree in any discipline with at least one year duration diploma in Social Work from a recognised University or institute; and (ii) Two years experience in the field of medical social work in Government recognised hospital or institution. Or (b) (i) Masters Degree in Social Work or Sociology from a recognised University or institute; and (ii) One year experience in the field of medical social work in Government recognised hospital or institution. **Note 1:** Qualification are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or the competent authority for the reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of Selection, the Staff Selection Commission or Competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years for direct recruits, subject to completion of mandatory training of at least two weeks duration in the relevant field.	Deputation failing which by Direct Recruitment

In case of recruitment by Promotion or deputation/absorption, grade from which promotion/deputation/absorption to be made.	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Services Commi -ssion is to be consulted in making recruit-ment.**
(11)	(12)	(13)
Deputation: Officers of the Central Government or State Governments or Union territories: (a)(i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or Department ;or (ii)with six years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level- 5 in the pay matrix (Rs. 29200 -92300) or equivalent in the parent cadre or Department ; and (b) Possessing the educational qualifications and experience as prescribed for direct recruits under column no. (7). The Period of deputation including period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be Not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.	Departmental Confirmation Committee (for considering Confirmation) consisting of:- (1) Additional Medical Superintendent, Kalawati Saran Children's Hospital, New Delhi -Chairman; (2) Director in charge of Medical Education, Directorate General of Health Services -Member; (3) Deputy Director (Administration), Lady Hardinge Medical College and Associated Hospital, New Delhi -Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A.11018/17/2019-MH.II]
GANESH KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 8 मई, 2023

सा.का.नि. 52.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम श्रेणी I तथा श्रेणी II (गैर- चिकित्सीय, राजपत्रित पद) भर्ती नियमावली, 1976 को, जहां तक उसका संबंध सहायक कीट- विज्ञानी